भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2292
23 सितम्बर, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ओ॰पी॰डी॰ म निःशुल्क उपचार

2292. श्री पी॰ वेलुसामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या विद्यमान मानकों के अनुसार निजी अस्पतालों को ओ॰पी॰डी॰ (बाहय रोगी विभाग) म रोगियों को नि:शुल्क उपचार मुहैया करवाने के लिए 25 प्रतिशत कोटा और गरीब रोगियों को भर्ती करने म 10 प्रतिशत कोटा रखना होता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या निजी अस्पतालों ने रिक्ति नहीं होने के बहाने से आरक्षित कोटे के बिस्तरों को भुगतान वाले बिस्तरों की श्रेणी म परिवर्तित कर दिया है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास निजी अस्पताल द्वारा किए गए दावों की प्रमाणिकता को सत्यापित करने का कोई निगरानी तंत्र है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) क्या सरकार के पास सरकार द्वारा निधारित किए गए मानकों का कार्यान्वयन नहीं करने के लिए निजी अस्पताल के लाइससों को रद्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। यह सुनिश्चित करना राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के अधिकार क्षेत्र के तहत आता है कि जिन अस्पतालों को रियायती दरों पर जमीन दी गई है, वे गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान कर। चूंकि यह राज्य का मामला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध म कोई ब्यौरा नहीं रखता है।

नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अनुसार, अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रदान करने के लिए, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों म स्थित निजी अस्पताल जहां भी, उक्त अधिनियम लागू ह, को न्यूनतम मानकों का पालन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद म अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानकों को अनुमोदित किया है, जिसम अन्य मानदंडों के साथ-साथ स्थानीय/ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लागू, अस्पताल द्वारा अनुपालन की जाने वाली विधिक अपेक्षाओं की सूची भी शामिल है।

(ख) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, ऐसी किसी सूचना को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। यह संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों सरकार के लिए है, कि निजी अस्पतालों द्वारा किए गए दावों की सत्यता को जांचने के लिए मॉनिटरिंग तंत्र विद्यामान हो और तदनुसार आवश्यक सुधारात्मक कारवाई की जाए।

(ड़): नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 के तहत, जिला पंजीकरण प्राधिकरण को निजी अस्पताल, जिसम पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, के पंजीकरण (लाइसस) को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों को लागू किया जाना संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार म निहित है।

*****